

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
शताब्दीनगर योजना के भूखण्डों का
e-Auction कराने हेतु
आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सेक्टर-2 में व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, सेक्टर-8 में ग्रुप हाउसिंग कम आवासीय तथा सेक्टर-10 में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक 06-01-2026 से 17-01-2026 तक का e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in के e-Auction लिंक पर उपलब्ध है।

सचिव।

उपाध्यक्ष।

ई-ऑक्शन का प्रोग्राम

FOR COMMERCIAL CUM GROUP HOUSING, GROUP HOUSING CUM RESIDENTIAL AND GROUP HOUSING PLOTS		SCHEDULE DATE
REGISTRATION AND EMD PAYMENT START DATE		06-01-2026 FROM 10.00AM
REGISTRATION AND EMD PAYMENT END DATE		15-01-2026 TILL 23.59 PM
AUCTION START DATE		17-01-2026 FROM 10.00AM
AUCTION END DATE		17-01-2026 TILL 17.00 PM
{Unlimited Auto extension of 15(fifteen) minutes interval will be available if required}		

SI. N O.	SEC TOR & POC KET	PRO PER TY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERV E RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES	EMD IN RUPEES	MINIMUM PER SQM
SHATABDI NAGAR SECTOR-02								
1	2	GH-40	2451.25	Commercial Cum Group Housing	30800	75498500	7549850	308
2	2	GH-41	3057	Commercial Cum Group Housing	30800	94155600	9415560	308
SHATABDI NAGAR SECTOR-08								
3	8	GH-1	11573	Group Housing Cum Residential	25410	294069930	29406993	254
4	8	GH-2	11573	Group Housing Cum Residential	24255	280703115	28070312	243
5	8	GH-3	11240	Group Housing Cum Residential	25410	285608400	28560840	254
6	8	GH-4	11240	Group Housing Cum Residential	25872	290801280	29080128	259
7	8	GH-5	17401	Group Housing Cum Residential	25410	442159410	44215941	254
8	8	GH-6	12601	Group Housing Cum Residential	25410	320191410	32019141	254
9	8	GH-7	7238	Group Housing Cum Residential	25410	183917580	18391758	254
10	8	GH-8	17601	Group Housing Cum Residential	25410	447241410	44724141	254
11	8	GH-9	16914	Group Housing Cum Residential	24255	410249070	41024907	243
12	8	GH-10	10999	Group Housing Cum Residential	25410	279484590	27948459	254
13	8	GH-11	10999	Group Housing Cum Residential	25872	284566128	28456613	259
14	8	GH-12	10999	Group Housing Cum Residential	25410	279484590	27948459	254
15	8	GH-13	10999	Group Housing Cum Residential	24255	266780745	26678075	243

16	8	GH-14	11573	Group Housing Cum Residential	25872	299416656	29941666	259
17	8	GH-15	11573	Group Housing Cum Residential	25410	294069930	29406993	254
18	8	GH-16	6157	Group Housing Cum Residential	25872	159293904	15929390	259
19	8	GH-17	6160	Group Housing Cum Residential	25872	159371520	15937152	259
SHATABDI NAGAR SECTOR-10								
20	10	GH	8500	Group Housing	23100	196350000	19635000	231

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

शताब्दीनगर आवासीय योजना,

सेक्टर-2 के व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग व सेक्टर-8
के ग्रुप हाउसिंग श्रेणी

के

भूखण्डों को "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

(दिनांक 06-01-2026 से 17-01-2026 तक)

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url
<https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹0 1,000/- + 18 प्रतिशत GST ₹0 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सेक्टर-2,
सेक्टर-8 में स्थित ग्रुप हाऊसिंग को **e-Auction** पद्धति से विक्रय
किये जाने की नियम एवम् शर्तें—

1. स्वामित्व—

प्रश्नगत सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा अर्जित है, भार रहित है।

2. स्थल का विवरण—

शताब्दीनगर योजना के सेक्टर-2 में व्यवसायिक कम ग्रुप हाऊसिंग व सेक्टर-8 में “जैसा है जहाँ है” के आधार पर ग्रुप हाऊसिंग श्रेणी के भूखण्डों e-Auction हेतु विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

3. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।

4. आवेदक को **e-Auction** में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकल बिड में अपलोड करने होंगे:—

- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कौन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
5. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनांक को e-Auction Programme में आमन्त्रित है।
 6. e-Auction में शामिल सम्पत्तियों का विवरण तथा Google location/Geo tagging status प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
 7. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक/फर्म/कम्पनी आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Document Fee) रुपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।
 8. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक/फर्म/कम्पनी आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध रहेगा, के सापेक्ष करना होगा।
 9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय जो आवेदकों के असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी, अन्य खातों से प्रेषित धनराशि मान्य नहीं होगी तथा नीलामी में सफल होने के उपरान्त भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो बिना अवसर प्रदान किये नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

10. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
11. e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें किसी भी दशा में कम नहीं किया जा सकेगा और न ही दी गयी Bids को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
12. e-Auction में भाग लेने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात् e-Auction में भाग लेने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा कराने के पश्चात् अपनी टेक्निकल बिड्स अपलोड करनी होगी।
13. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है, के सापेक्ष आवेदक (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेगें।
15. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को आवंटित हुई सम्पत्ति के दर की स्वीकृति का पत्र जारी होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर, (1) स्वहस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका, (2) पैन कार्ड (3) आधार कार्ड, (4) कैंन्सिल चैक व (5) e-Auction के प्रोग्राम से डाउनलोड की गयी डोकुमेन्ट फीस की Suceesful वाली रसीद व (6) emd की Suceesful वाली रसीद (7) यदि आवेदनकर्ता द्वारा फर्म/कम्पनी/ट्रस्ट की ओर से प्रतिभाग किया गया है तो फर्म/कम्पनी के पंजीकरण की प्रति व ट्रस्ट की डीड की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
16. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा।

आवेदकों की उच्चतम दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

17. **e-Auction** के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम दर देने वाले आवेदक/**e-Auction** पद्धति से उच्चतम दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), **e-Auction** हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी। यदि गुण-दोष के आधार उच्चतम दरदाता द्वारा की दर के अस्वीकृति का निर्णय पारित होता है तो निर्णय के पश्चात् उच्चतम दरदाता की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
18. आवेदक जिस भूखण्ड के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से जिस सम्पत्ति/सम्पत्ति ग्रुप में के सापेक्ष भुगतान करेगा वह उसी सम्पत्ति/सम्पत्ति ग्रुप में अपनी बिड कर सकेगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने के लिये आवेदकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक डाक्यूमेंट फीस व EMD जमा करनी होगी।
19. आवेदकों के पक्ष में **e-Auction** पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, "भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति "भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य+देय ब्याज+देय दण्ड ब्याज सहित कुल देय धनराशि" पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि सब्याज देय किश्त/देय धनराशि में से कटौती करके आवेदकों द्वारा अपने पेन कार्ड के माध्यम से स्वयं अपने खाते से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 AAALM0124D पर निर्धारित/नियत तिथियों तक भुगतान करते हुए आयकर की साईट से डाउनलोड किये चालान एवं फार्म 26QB की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही टी0डी0एस0 के मद जमा की गयी धनराशि, आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष दर्ज करायी जा सकेगी। इसी प्रकार टी0डी0एस0 के पश्चात् शेष देय धनराशि का भुगतान आवंटियों के द्वारा स्वयं के खाते से प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक अथवा गढ़ रोड़, सूर्याश प्लाजा स्थित एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा करना होगा।

20. सम्पत्ति के आवंटन—कम—किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) अथवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, सफल आवेदकों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679) में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
21. e-Auction में सफल आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति पत्र में शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन आवेदक द्वारा दी गयी उच्चतम् के अनुसार देय सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तें:-

22. e-Auction की प्रक्रिया में शामिल सम्पत्ति, e-Auction में प्रथम बार शामिल की जा रही है। अतः इन सभी सम्पत्तियों की e-Auction में कम से कम 03 बिडर का होना अनिवार्य है। e-Auction में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
23. e-Auction के सफल आवेदकों को ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड का तत्काल कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता प्राधिकरण से तत्काल कब्जा हस्तगत किये जाने की माँग नहीं करेंगे तथा इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का वाद योजित करना स्वीकार नहीं किया जायेगा।
24. e-Auction के सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता को आवंटित भूखण्ड के कब्जा विषयक प्रकरण के निस्तारण हेतु आवंटित सम्पत्ति की दर स्वीकृति का पत्र जारी होने के दिनांक से 06 माह की अवधि नियत रहेगी जिसके लिये उच्चतम् बिडदाता स्वयं प्रयास करेगा।
25. यदि प्राधिकरण प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा प्राप्ति में असफल रहता है तो सफल आवेदकों को उनकी जमा emd धनराशि बिना कटौती के बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदकों को किसी

अन्य प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

26. विकास प्राधिकरण से सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता को कब्जा हेतु नियत अवधि 06 माह के अन्दर का कोई ब्याज व अन्य धनराशि जमा नहीं करायी जायेगी। आवेदक के निवेदन पर कब्जा की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भूखण्ड का आवंटन कम किश्त जारी किया जायेगा तथा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध/विक्रय विलेख निष्पादित कराकर कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

27. सम्पत्तियों के मूल्य का पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट—

सम्पत्ति के आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत होने के पश्चात् EMD धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत् छूट अनुमन्य होगी:—

- (1) 45 दिन में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट
- (1) 60 दिन में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट
- (1) 90 दिन में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

यदि उपरोक्तानुसार नियत अवधि के अन्दर भूखण्ड का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को कोई छूट देय नहीं होगी बल्कि आवंटी को नियमानुसार निर्धारित किश्तों का भुगतान करना होगा।

28. e-Auction के सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता को भूखण्ड का कब्जा हस्तगत हो जाने के पश्चात् आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष देय आवंटन धनराशि का उल्लेख करते हुए किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 10% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

- (1) आवंटित ग्रुप हाऊसिंग के भूखण्ड के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है

तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। यदि आवंटित सम्पत्ति साईट प्लान निर्गत होने पर कार्नर की पायी जाती है तो कॉर्नर चार्ज व कोर्नर चार्ज सहित कुल मूल्य पर देय 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी।

(2) लगातार 3 किश्तों का समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में जमा **emd** धनराशि पूर्ण रूप से जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में से 25 प्रतिशत कटौती करके शेष बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा भूमि/भूखण्ड से बेदखल कर प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि/भूखण्ड पर कब्जा (Resume) प्राप्त किया जायेगा। आवंटी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

29. अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन नॉनपेमेन्ट में निरस्त हो जाने के पश्चात् शासन द्वारा जारी आदर्श कास्टिंग गाईड लाईन्स-2025 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निरस्तशुदा सम्पत्तियों आवंटन किसी भी दशा में बहाल नहीं किया जायेगा।

30. **कर आदि की देयता:-**

ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड धारक द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा आरोपित समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

31. आवंटी-बिल्डर द्वारा ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

32. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

33. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।

34. **सेवाओं तथा सुविधाओं का प्राविधान-**

प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित आवासीय भूमि/भूखण्डों के समीप जो ड्रेन्स, सीवर व विद्युत लाईन की सुविधायें वर्तमान में विद्यमान है उसमें, विकसित

की जाने वाली कालोनी की सर्विसेज़ को जोड़े जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा योजना की भूमि/भूखण्डों में आन्तरिक एवम् उपलब्ध उपरोक्त सर्विसेज से जोड़ने हेतु विकास कार्य आवंटी-बिल्डर द्वारा स्वयं कराये जायेंगे। योजना में विज्ञापित आवासीय भूमि/भूखण्डों हेतु भविष्य में विकास प्राधिकरण द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का जब कभी प्राविधान किया जायेगा तो उस होने वाला व्यय समानुपातिक रूप से आवंटी-बिल्डर द्वारा प्राधिकरण को सेवा पर देय होगा। उक्त मद में देय धनराशि का माँग पत्र सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा निर्गत करने के पश्चात् देय धनराशि समय से न जमा किया जाने पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज भी देय होगा।

35. ले-आऊट तथा भवन डिजाईनों का प्रस्तुतिकरण-

आवंटी द्वारा ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के 4 माह की अवधि के अन्दर "प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि" में उल्लिखित निर्धारित मानकों एवम् समय समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि/भूखण्ड का ले-आऊट तथा भवनों के डिजाईन विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे। ले-आऊट प्लान "प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि" में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड पर आवासीय भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा। ले-आऊट प्लान एवम् भवनों के निर्माण की अनुमति के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न विवरण अवश्य प्रस्तुत किये जायेंगे।

- (1) भू-भाग की मॉपें, क्षेत्रफल एवम् आवासीय योजना में स्थिति।
- (2) भू-भाग के विकास का ले-आऊट तथा ट्रंक सेवाओं की स्थिति एवम् क्षेत्रफल दर्शाते हुए आन्तरिक विकास कार्य की समस्त विशिष्टियां, कार्य पूर्ति की समय सारणी सहित।
- (3) प्रस्तावित भवनों के निर्माण से सम्बन्धित तलों के प्लान, समस्त एलीवेशन तथा भवनों के मध्य से ऐसे एलीवेशन जिससे भवनों की आन्तरिक संरचना पूर्णतया स्पष्ट हो सके। समस्त मानचित्रों की निर्धारित संख्या में प्रतियाँ मैट्रिक प्रणाली में निर्धारित स्केल पर एक निर्धारित माप के कागज पर प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) समस्त मानचित्र "काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर" से पंजीकृत वास्तुविद, पंजीकृत नगर नियोजक, स्ट्रक्चरल इन्जीनियर तथा आवंटी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी प्राविधान किये जाने एवम् उनके स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण पत्र एवं

विस्तृत डिजाइन भी संलग्न किया जायेगा। ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु महायोजना के प्राविधानों एवम् “प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि” में उल्लिखित वांछित माप-दण्डों एवम् मानचित्रों के साथ आवश्यकतानुसार अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी संलग्न की जायेगी। साथ ही ग्राउन्ड वाटर रीचार्जिंग के लिये वाटर हार्वेस्टिंग के आवश्यक प्राविधान करने होंगे। शासन द्वारा अपेक्षित अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

(5) भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।

36. मानचित्रों पर अनापत्ति एवम् विकास व्यय का भुगतान—

विकास एवम् भवन निर्माण के मानचित्रों पर 6 सप्ताह की अवधि में या तो समस्त आपत्तियाँ एक साथ प्रस्तुत कर दी जायेगी अथवा प्रस्ताव पर इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा कि आवंटी आन्तरिक विकास कार्य आरम्भ करने के लिये विकास व्यय का अनुमान तथा भवनों का प्रस्तावित निर्माण व्यय सूचित करें। विकास एवम् निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ, डिजाईन तथा आगणन पर किसी मान्यता प्राप्त इन्जीनियर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

37. ग्रुप हाउसिंग हेतु भूमि/भूखण्ड के आवंटी द्वारा प्राधिकरण में मानचित्र आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के आधार पर मानचित्र स्वीकृति के समय लागू दरों/नियमों के आधार पर आरोपित शुल्क जमा करने होंगे।

38. कार्य आरम्भ होने के पूर्व लिखित सूचना—

विकास एवम् निर्माण कार्य की विकास प्राधिकरण से अन्तिम रूप से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् आवंटी चरणबद्ध विकास/निर्माण किये जाने वाले कार्यों की लिखित सूचना (नोटिस ऑफ कमेन्समेन्ट) विकास प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने से कम-से-कम 2 सप्ताह पूर्व दी जायेगी जिसमें प्रश्नगत चरण में किये जाने वाले विकास एवम् निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा ताकि प्रश्नगत चरण के परिपेक्ष्य में कार्यों की प्रगति एवम् विशिष्टियों का निरीक्षण सम्बन्धित अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जा सके।

39. कार्य समाप्ति—

समस्त चरणों का विकास एवम् निर्माण कार्य प्रत्येक चरण हेतु पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा। उच्चतम बोलीदाता (आवंटी) के लिये आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड का सम्पूर्ण विकास करने के लिये

अधिक-से-अधिक पाँच वर्षों की अवधि अनुमन्य होगी। इस निर्धारित अवधि में अथवा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा स्वीकृत समय सारणी के अनुसार प्रत्येक चरण का विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्मित/विकसित भवनो/भूखण्डों के सम्बन्ध में उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा कार्य समाप्ति की लिखित सूचना विकास प्राधिकरण को दी जायेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा इस सूचना के एक माह के उपरान्त या भीतर कार्य यदि पूर्व अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुरूप पाये गये तो कार्य सही रूप से समाप्त होने का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन) आवंटी को दे दिया जायेगा।

40. ग्रुप हाऊसिंग के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्तियों का निबन्धन—

उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् कब्जा अनुबन्ध के निष्पादन/निबन्धन के समय उपभोग में आयी स्टाम्प ड्यूटी का स्टाम्प अधिनियम के अनुसार समायोजन पश्चात् शेष देय स्टाम्प ड्यूटी पर पूर्ण स्वत्व के आधार पर आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड का विक्रय विलेख का निबन्धन किया जायेगा। आवंटी को विक्रय विलेख के निष्पादन के समय दस्तावेज शुल्क रुपये 100/— जमा करने होंगे। विक्रय विलेख के निष्पादन/निबन्धन का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

41. ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड पर निर्माण हेतु विकसित सेवाओं का रख-रखाव—

(1) विकास कार्य एवम् भवनों के निर्माण की समाप्ति के पश्चात् सभी आन्तरिक सेवाओं, सड़कों तथा पार्को आदि का रख-रखाव उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा कार्यावधि समाप्ति से पूर्व तक स्वयं अपने व्यय पर किया जायेगा।

(2) प्लैट प्रणाली विकास के लिये विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा समस्त संयुक्त सुविधाओं जैसे—जीना, कोरीडोर, ओवरहैड टैंक आदि के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति अनावंटित नहीं छोड़ी गयी है तथा संयुक्त सुविधाओं का रख-रखाव भवन के आवंटियों की सहकारी समिति को सौंप दिया जायेगा। समिति अथवा स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक संयुक्त सुविधाओं का रख-रखाव आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(3) ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित भूमि/भूखण्ड पर कराये जाने वाले विकास कार्यों एवम् अवस्थापना सुविधाओं जैसे— विद्युत कनेक्शन आदि हेतु सम्बन्धित विभाग में आवेदन कर व्यवस्था आवंटी को स्वयं अपने व्यय पर करानी होगी।

42. कार्य समाप्त के पश्चात् विकास एवं निर्माण कार्यों के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

43. अन्य शर्तें—

- (1) मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर जो कि नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित नहीं है, e-Auction में शामिल भूखण्डों की आरक्षित दर की गणना नियमानुसार प्राधिकरण की योजना की सेक्टर दर को आधार मानकर की गयी है। कॉर्नर भूखण्डों की आरक्षित दर में 5 प्रतिशत, पार्क फेसिंग भूखण्डों की आरक्षित दर में 5 प्रतिशत, 18 मीटर व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर पड़ने वाले भूखण्डों की आरक्षित दर में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त दर शामिल है।
- (2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायेगी। सम्पत्ति पर प्राधिकरण का उक्त बकाया के क्रम में प्रथम अधिकार होगा।
- (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकरण सचिव/प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को बिना कारण बताये e-Auction पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- (5) यदि आवेदक/उच्चतम् दरदाता कब्जा प्राप्ति में विफल रहता है तो उसकी जमा emd धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस की जायेगी।
- (6) आवंटित परिसम्पत्तियों पर विक्रय विलेख/कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तदनुसार वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।

- (7) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा “प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि” के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा तथा भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।
- (8) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
आवेदक/कम्पनी/फर्म/ट्रस्ट आदि का विवरण व अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम

आवेदक/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पिता/पति का नाम.....

मो0नं0 व

Email id :

पता

.....
.....





REVISED PROPOSED LAY OUT PLAN OF COMMERCIAL, COMM./G.H. PLOTS AT SECTOR - 2 SHATABDI NAGAR DELHI ROAD, MEERUT.

AREA STATEMENT	SQ. M.	%
TOTAL SITE AREA	128000.00	
AREA UNDER ROAD WIDENING	7450.00	100.00
AREA UNDER ELE. SUB. STATION	2161.00	44.94
NET AREA OF SITE	119189.00	26.18
AREA UNDER COMM./G.H. PLOTS	53560.18	12.12
AREA UNDER PARKS / OPEN	31210.11	1999.55
AREA UNDER ROADS & PATHWAY	14449.18	18.78

LEGEND:

- EXIST. BOUNDARY WALL & STRUCTURE
- DISPUTED LAND SHOWN
- LAND LEFT FROM ACQUISITION
- SITE FOR C.N.G. STATION
- COMMERCIAL / GROUP HOUSING PLOTS (G.F., COMMERCIAL & OTHERS FLOORS GROUP HOUSING RESI. UNITS)
- 11, 12, 38 TO 43 & 52 (9 PLOTS)
- MISSING PLOT NO. 17 TO 20, 44 TO 50

REVISION - 1 DATE
REVISION - 2 30-11-2009
REVISION - 3 22-01-2013

REVISION - 4	DATE	
DRAWN BY: Sd. BALBIR SINGH SURVEYOR	05-07-2014	SCALE 1:1000
Sd. (DL 08-07-14) A.T.P.		T.P.

Sd. (DL 08-07-14) CHIEF TOWN PLANNER
Sd. (DL 08-07-14) SECRETARY
Sd. (DL 08-07-14) VICE CHAIRMAN

[illegible]